

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग

लखनऊ दिनांक

16-12-
नवम्बर, 2011

विषय- केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जनपद सीतापुर में नैमिषारण्य के सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास की योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-875/6-1-1 (334)/यो0/2011 दिनांक 14 सितम्बर, 2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

(2) उक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जनपद सीतापुर में नैमिषारण्य के सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास की योजना हेतु सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम द्वारा गठित आगणन के परीक्षणोंपरान्त आंकलित लागत रू0-244.64 लाख धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश रू0-209.99 लाख के सापेक्ष मात्र रू0-105.00 लाख (रूपये एक सौ पांच लाख मात्र) स्वीकृत करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

- 1- योजना का क्रियान्वयन एवं स्वीकृत धनराशि का व्यय भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार योजनान्तर्गत कार्य मदों पर किया जायेगा और संशोधित लागत से भारत सरकार को सूचित किया जायेगा।
- 2- उक्त धनराशि का आहरण/व्यय नियमानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय।
- 3- स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।
- 4- कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र, शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।
- 5- यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- 6- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।
- 7- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति तो नहीं हो रही है।
- 8- योजना का अनुश्रवण शासन द्वारा गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा नियमित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा एवं मासिक वित्तीय तथा भौतिक प्रगति राज्य

सरकार तथा त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति भारत सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी।

9- उक्त स्वीकृत धनराशि के 75 प्रतिशत उपयोग होने के पश्चात द्वितीय किश्त की धनराशि नियमानुसार अवमुक्त की जायेगी।

(3) निर्माण एजेन्सी को निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 5 व 6 में निहित प्राविधानों के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर एक अनुबन्ध पत्र भरना होगा जिसमें अनुबन्ध पत्र भरने की तिथि से 6 माह की अवधि से कार्य पूर्ण करने, कार्यों की गुणवत्ता बनाये रखने, अधोमानक सामग्री का उपयोग न करने तथा अन्य आवश्यक शर्तों का उल्लेख किया जायेगा। अनुबन्ध पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होगा कि अनुबन्ध की शर्तों का उलंघन किये जाने की दशा में निर्माण एजेन्सी द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि को अर्थदण्ड के रूप में जब्त कर लिया जायेगा।

(4) उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-5452- पर्यटन- आयोजनागत- 80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0115-डेस्टिनेशन/सर्किट डेवलपमेन्ट योजनान्तर्गत पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(5) यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-1441/दस-2011 दिनांक 15 दिसम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
सचिव

संख्या-1884 (1)/41-2011 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार (सिविल) आडिट, उत्तर प्रदेश, सत्य निष्ठा, भवन, 15-ए, दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद।
- 2- सचिव, पर्यटन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई-दिल्ली।
- 3- मण्डलायुक्त, लखनऊ/जिलाधिकारी, सीतापुर।
- 4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, पर्यटन, उ0प्र0, लखनऊ।
- 6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4
- 8- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, लखनऊ।
- 9- श्री राजा राम, वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Manoj
(मनोज कुमार सिंह) 16.12.11
सचिव